

प्रेषक,

कोर्ट केस
अतिआवश्यक

सेवा में,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव।

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक / /2025

विषय : डा० प्रभुनाथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट, राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, राँची, झारखंड सम्प्रति सेवानिवृत्त के अवकाश खाते में संचित 240(दो सौ चालीस) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986 पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञाप संख्या-61(25), दिनांक-07.01.2025 एवं विभागीय सकारण आदेश संख्या-230(2), दिनांक-18.02.2025 के आलोक में डा० प्रभुनाथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट, राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, राँची, झारखंड सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके अवकाश खाते में संचित 240 (दो सौ चालीस) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० प्रभुनाथ प्रसाद सिंह का सेवानिवृत्ति की तिथि 28.02.2022 है।

(3) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० प्रभुनाथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट, राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, राँची, झारखंड सम्प्रति सेवानिवृत्त के पक्ष में 240 (दो सौ चालीस) दिन के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अवर साचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापांक-2/कोर्ट-25/2022- 237(25) पटना, दिनांक 19/02/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर साचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, कोषागार, नया सचिवालय/डा० प्रभुनाथ प्रसाद सिंह, तत्कालीन सीनियर रेजिडेंट, राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, राँची, झारखंड सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-16, आशीवाद, पी०एच०ई०डी० वाटर टैंक के नजदीक, कृष्णा नगर, बूटी रोड, थाना-वरियातु, जिला-राँची, पीन कोड-834009/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।